

- 1 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 2 अपर निदेशक (प्रशिक्षण)  
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,लखनऊ।
- 3 समस्त अनुभाग अधिकारी,  
वाणिज्य कर ,मुख्यालय।

कृपया शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-9/1/1973-कार्मिक-1,दिनांक 24.10.1978 तथा पत्र संख्या-13/18/1983-कार्मिक-1,दिनांक 15.07.1985 के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या 11 दिनांक 02.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल के स्थान पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिये उनके ई0आई0एम0एस0 पोर्टल पर प्रापटी डिटेल्स से सम्बन्धित आनलाइन माड्यूल उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों (पूर्व में मनोरंजन कर विभाग से वाणिज्य कर विभाग में आये हुये समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों सहित) को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबन्धित अपना चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने लाग-इन आई0डी0 से विभागीय ई0आई0एम0एस0 माड्यूल में प्रापटी डिटेल्स एंट्री में जाकर संबन्धित वित्तीय वर्ष का चयन करते हुये अपने सम्पत्ति विवरण को अनिवार्य रूप से दिनांक 15.06.2022 तक फीड करना सुनिश्चित करेंगे।


वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूर्व के भौति ही अपना चल/अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे।

(सुधा वर्मा)

प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर कर,मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त की प्रति विभागीय वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

  
06/5/2022  
(डौली)

डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0)वाणिज्य कर

मुख्यालय लखनऊ।